कार्यालयः जिला एवं सत्र न्यायाधीश, दीवानी एवं सत्र न्यायालय, बुलन्दशहर।

आदेश

माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद के पत्रांक सं0–1117/LXXXVII-CPC/e-courts Allahabad Dated 03-06-2020 के अनुपालन में दिनांक 08.06.2020 से जनपद न्यायालय, बुलन्दशहर के सभी न्यायालयों में उक्त वर्णित पत्र में दिये गये निर्देशों के अधीन न्यायिक कार्य सम्पादित किये जाने हेतु न्यायालयों को खोले जाने हेतु निर्देशित किया गया है।

सभी न्यायालयों द्वारा माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद के पत्र सं0–484/इन्फ्रा सेल इलाहाबाद दिनांकित 30 मई 2020 में दिये गये वादों को प्राथमिकता के आधार सुनवाई हेतु कार्यवाही किया जाना सुनिश्चित किया जायेगा।

माननीय उच्च न्यायालय के उक्त पत्र के प्रस्तर संख्या–05 में यह निर्देशित किया गया है कि कम से कम 01 या 02 न्यायालय की प्रक्रिया JITSI सॉफ्टवेयर के माध्यम से किया जाये। अतः सिस्टर ऑफिसर को आदेशित किया जाता है कि अपर जिला एवं सत्र न्यायालय/स्पेशल जज (पोक्सो एक्ट) की न्यायालय की प्रक्रिया JITSI सॉफ्टवेयर के माध्यम से चलायी जाये।

अण्डर ट्रायल बन्दियों का रिमाण्ड सम्बन्धित कार्य विडियों कान्फेन्सिंग अथवा सॉफ्टवेयर के माध्यम से सम्पादित किया जायेगा।

नये वाद/प्रार्थना पत्र केन्द्रीयकृत कम्प्यूटर कक्ष में प्राप्त किये जायेगें। प्रार्थना पत्र पर विद्वान अधिवक्ता का पूर्ण विवरण मय मोबाईल नम्बर अंकित होगा जिससे कोई कमी पर सम्बन्धित अधिवक्ता को सूचित किया जा सकें।

विद्वान अधिवक्तागण जनपद न्यायालय की ई–मेल आई0 डी0– dcbulandshahr@gmail.com पर भी जमानत प्रार्थना पत्र/अग्रिम जमानत प्रार्थना व लिखित बहस वैकल्पिक आधार पर प्रेषित कर सकते है।

बहस के दौरान जिन विद्वान अधिवक्ताओं का मुकदमा न्यायालय में सुनिश्चित होगा, वही विद्वान अधिवक्ता न्यायालय कक्ष में आयेंगे। सभी न्यायालय कक्षों में 4 कुर्सिया पर्याप्त दूरी पर इस प्रकार से रखी जाये जिससे कि उचित सोशल डिस्टेंन्सिग कायम रखी जा सकें तथा जैसे ही विद्वान अधिवक्ता के वाद की सुनवाई हो जाती है, वह न्यायालय परिसर को छोड़ दे। न्यायालय कक्ष में सभी व्यक्तियों को अनिवार्य रूप से मास्क का उपयोग करना होगा तथा प्रत्येक न्यायालय कक्ष के मुख्य गेट पर सेनीटाइजर का प्रबन्ध किया जायेगा।

समस्त न्यायालयों के पीठासीन अधिकारी को निर्देशित किया जाता है कि वह अपने न्यायालय के रीडर व लिपिकगण को आदेशित करे कि वह सोशल डिस्टेंन्सिग की गाइडलाइन्स का कडाई से अनुपालन करे। न्यायालय के पीठासीन अधिकारी पक्षकार/विद्वान अधिवक्तागण की एक समय न्यायालय कक्षों में कम से कम उपस्थिति के लिए समुचित व्यवस्था करना सुनिश्चित करें तथा आवश्यकता पडने पर न्यायालय कक्ष में अतिरिक्त व्यक्तियों का प्रवेश बन्द कर सके जिससे सोशल डिस्टेंन्सिग का अनुपालन सुनिश्चित किया जा सके।

समस्त न्यायालयों के पीठासीन अधिकारीगण समय–समय पर माननीय उच्च न्यायालय, इलाहाबाद उत्तर प्रदेश शासन व केन्द्रीय सरकार द्वारा कोविड–19 के संक्रमण की रोकथाम के दिये गये निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित करते हुए कार्य सम्पादित करना सुनिश्चित करे।

अतः दिनांक 08.06.2020 से जनपद न्यायालय, बुलन्दशहर के सभी न्यायालय कार्यालय खोले जायेगें, इसलिए जनपद न्यायालय में कार्यरत सभी न्यायिक अधिकारीगण, तृतीय श्रेणी व चतुर्थ श्रेणी कर्मचारीगण अपने-अपने न्यायालय व कार्यालय में निर्धारित समय उपस्थित होकर अपना-अपना कार्य सम्पादित करना सुनिश्चित करे।

सभी सम्बन्धित सूचित हो।

दिनांक

(नील कंठ सहाय) 4/3/2020
जनपद न्यायाधीश,
बुलन्दशहर।

प्रतिलिपिः–

1. समस्त सम्बन्धित पीठासीन अधिकारीगण को वास्ते सूचनार्थ व आवश्यक कार्यवाही हेतु।
2. प्रशासनिक कार्यालय को उचित कार्यवाही हेतु।
3. केन्द्रीय नजारत को नियमानुसार न्यायालय व कार्यालय खुलवाने हेतु।
4. सिस्टम ऑफिसर को इस आशय से प्रेषित हो कि उक्त आदेश को जनपद न्यायालय की वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु।
5. अध्यक्ष एवं सचिव सिविल बार एसोसिएशन व डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन को वास्ते सूचनार्थ व अपने अधिवक्ताओं को सूचित करने हेतु।
6. जिला सूचना अधिकारी, बुलन्दशहर को समस्त दैनिक समाचारपत्रों में प्रकाशन कराये जाने हेतु।

दिनांक

(नील कंठ सहाय) 4/3/2020
जनपद न्यायाधीश,
बुलन्दशहर।